

न्यायालय—सिविलजज(सीनियर डिवीजन)बॉदा।

मूलवाद संख्या—142 / 2021
सीएनआर नं.यपीबीडी 050002352021
आर.एन.नं. 142 / 2021
 शिवदास बनाम श्रीराम

03.09.2022

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 6ग2 अन्तर्गत आदेश 1 व 2 व धारा—151 सी.पी.सी. प्रस्तुत हुयी जिसके माध्यम से वादी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दौरान वाद प्रतिवादी को निषेधित करना चाहता है कि प्रतिवादी आराजी निजाई में वादी के बने शान्तिप्रिय कब्जा दखल में किसी प्रकार का व्यवधान न पैदा करे।

वादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र 6ग2 में यह कहा है कि सलंग्न मुताबिक अर्जी दावा की आराजी निजाई मौजा मवई मध्य बरस्ती के गाटा संख्या 1917 मि0 पर स्थित है जिस पर वादी पुस्तैनी समय से मौके पर मालिक काबिज दखील है तथा प्रतिवादी का आराजी निजाई के आस-पास कोई मकानियत न होने पर भी प्रतिवादी आराजी निजाई पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहता है, चूंकि वादी ही आराजी निजाई पर अर्सा पूर्व से काबिज दखील होने से आयच्छा जबरिया कब्जा हटाये जाने से वादी का सख्त नुकसान व हकतलफी है, क्योंकि मौके पर मालिक काबिज दखील वादी ही के होने से प्राइमा फिसाई दावा व सुविधा का सन्तुलन बहक वादी होना स्पष्ट है। अस्तु दौरान मुकदमा स्थगन आदेश की सख्त आवश्यकता है।

उक्त प्रतिवादी की ओर से आपत्ति कागज सं0-27ग2 मय शपथपत्र 28ग2 प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि वादी ने गलत आधारों पर दावा किया है। वादी ने गांवदारी की पार्टी की रजिश से दावा किया है। वादी के मकान से अलग भूमि का दावा गलत तथ्य रखकर प्रस्तुत किया है जो कि निरस्त होने योग्य है, जो कि वादी का कोई हक व स्वत्व नहीं है। वादी के भाई का भी कुछ अंश होता है, किन्तु उसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। वादी आराजी निजाई की नाहक खुदाई व नाली बनाने से विपक्षी द्वारा बेजा कार्य करने से रोका गया था। अस्तु परेशान करने की नीयत से झूंठा दावा किया है। प्रतिवादी ने कभी भी जबरिया कब्जा करने की धमकी नहीं दी है। दावा वादी अपूर्ण व अस्पष्ट होने से निरस्त होने योग्य है। वर्ना प्रार्थी का सख्त नुकसान व हकतलफी है। वादी को कोई नुकसान नहीं है।

मेरे द्वारा पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर अमीन आख्या कागज सं0-29ग2 उपलब्ध है।

वादी की ओर से सूची कागज संख्या 9ग1 से 10ग1 नगल खतोनी मौजा वर्मई बाबत गाटा संख्या 1917 फसली सन् 1424-1429, 11ग1 नकल इन्तखाब खसरा बाबत गाटा संख्या 1917 फसली सन् 1427, 12ग1 नकल नकशा अक्सी की छाया प्रति मौजा मवई बाबत गाटा संख्या 1917, 13ग1 एक किता छाया प्रति नकल पर्चा घरौनी, 14ग1 एक किता छाया प्रति आधार कार्ड वादी, 15ग1 एक किता छाया प्रति राशन कार्ड वादी, 16ग1 एक किता छाया प्रति विद्युत बिल रसीद वादी व 17ग1 एक किता जलकर रसीद दाखिल किया गया है।

किसी भी वाद में अस्थाई व्याहेश दौरान वाद प्राप्त करने के लिये न्यायालय में तीन अव्ययों का निर्धारण किया जाना आवश्य है, जो निम्नवत है।

1.प्रथमदृष्ट्या केस

2.सुविधा का संतुलन

3.अपूर्णनीय क्षति

वादी का कथन है कि आराजी निजाई मौजा मवई मध्य बरसी के गाटा संख्या-1917 मि० पर स्थित है, जिस पर वाटो पुस्तैनी समय से मालिक काबिज व दखील है। प्रतिवादी आराजी निजाई पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करने का कथन किया गया है, जबकि प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया कि वादी के मकान से अलग भूमि का दावा वादी द्वारा गलत तथ्य रखकर प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी का कोई हक व स्वत्व नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अमीन रिपोर्ट कागज सं०-29ग2 में यह अंकित है कि मौजूदा पक्षों की निशादेही पर विवादित स्थल का निरीक्षण व नाप किया। विवादित स्थल सलंगन नक्शों में क,ख,ग,घ,च,क अक्षरों से दर्शाया गया है जिसमें क,ज,छ,च स्थल में क से च तक दीवाल है, ज से छ तक लकड़ी गड़ी है जिस पर छपरा बना है जिसके नीचे लड़ौरी बनी है, जिस पर वादी के जानवर बंधते हैं तथा ज,ख भुजा में कटीले झांखर लगे हैं, ख से ग तक बांस की बाउन्ड्री है। उक्त निर्माण पुराना है जिसमें वादी द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से विदित है कि वादी ने वादपत्र के नक्शे में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित मकान का स्वामी होना कहा है तथा अक्षर अ,ब,क,ख का विवाद होने की बात कहीं है। उसके द्वारा यह कहा गया कि वह पूर्व से आराजी निजाई पर काबिज दखील है। अमीन रिपोर्ट के अवलोकन से यह विदित होता है कि विवादित स्थल पर निर्माण है, जो पुराना है, जिसे वादी द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्ट्या विवादित सम्पत्ति पर कब्जा होना साबित है। अतः इस स्तर पर वादी का प्रथम

दृष्ट्या वाद बनता प्रतीत होता है। चूंकि वादी के मकान से जुज भाग प्रश्नगत आराजी है। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है। यदि उसे विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है। ऐसी स्थिति में विवादित स्थल पर उभयपक्ष को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 6ग2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 6ग2 स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह दौरान वाद ~~विवादित~~ सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखेंगे।

पत्रावली वास्ते वादबिन्दु विरचन हेतु दिनांक 13.10.2022 को पेश

हो।


 (अनिल कुलकर्णी)
 सिविल जज(सोनियर डिवीजन), बॉदा।
 जेओ कोड नंबर—यू.पी.1775